तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
7.7.2025	अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र अधीन धारा–5 म्याद अधिनियम पर अभिभाषक उभयपक्षों की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थीगण/अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आक्षेपित आदेश एक अवैध आदेश है जो प्रारम्भ से ही शून्य है। ऐसे अवैध आदेश को चेलेन्ज करने के लिए म्याद का प्रश्न आडे नहीं आता है। प्रार्थीगण के अचल सम्पत्ति संबंधी अधिकार तय होने हैं। प्रार्थीगण ज्यादा पढे लिखे व्यक्ति नही है। कानूनी पेचीदियो को नही समझते है। इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किये जाने की प्रार्थना की है। अभिभाषक रेस्पो0 ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम का कोई जबाव पेश नहीं किया है। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर सीधे ही बहस करने का कथन किया। अभिभाषक प्रार्थीगण/अपीलान्ट ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के कथनो के दोहराते हुए कथन किया कि आक्षेपित आदेश एक अवैध आदेश है। अवैध आदेश को चेलेन्ज करने के लिए म्याद का प्रश्न आडे नहीं आता है। प्रार्थीगण ज्यादा पढे लिखे व्यक्ति नही है तथा कानूनी ज्ञान नही है जिससे कानूनी पेचीदियो को नही समझते है। प्रार्थीगण/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है। अभिभाषक प्रार्थीगण/अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में RRT 2013 (i) पेज 473, RRT 2002 (i) पेज 269, RRT 2002 (i) पेज 257, DNJ (SC) 2019 1 लगायत 6 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अभिभाषक अप्रार्थीगण/रेस्पो0 ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थीगण/अपीलान्ट ने जिस आक्षेपित नामान्तकरण आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, वह अपील बयनामा दिनांक 25.5.1973 के संदर्भ में खोले गये नामान्तकरण की है। बयनामा को लगभग 50 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। बयनामा दिनांक से ही अप्रार्थीगण/रेस्पो0 का विवादित आराजी पर निरन्तर कब्जा है। उक्त नामान्तकरण व बयनामा की जानकारी प्रार्थीगण/अपीलान्ट को शुरू से ही है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु कोई सुसंगत कारण अंकित नहीं किये हैं। इतनी लम्बी अवधि के पश्चात देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता। अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। अप्रार्थीगण/रेस्पो0 ने अपने तर्कों के समर्थन में RBJ 2024 पेज 396, 463, RBJ (30) 2023 पेज 398, RBJ (30) 2023 पेज 270, RRT	

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

2023 (2) पेज 821, CJ (पार्टीशन) 2013 पेज 513 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

अभिभाषक उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण/अपीलान्ट ने जिस आक्षेपित नामान्तकरण आदेश दिनांक 30.9.1985 के विरूद्ध जो अपील प्रस्तुत की गई है, उसे लगभग 40 वर्ष अवधि हो चुकी है तथा बयनामा को लगभग 50 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। इतने समय पश्चात् अपील प्रस्तुत करने का कोई सुसंगत कारण अंकित नहीं किया हैं जबकि धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत् देरी को माफ कराने हेतु विलम्व को पूर्णतय स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अपीलाधीन नामान्तकरण के तहत् हुए इन्द्राजो को लगभग 40 वर्ष पश्चात् विलम्व से पेश अपील के माध्यम से बदला जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थीगण/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम अवधि बाहर होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम अपीलान्ट खारिज की जाती है। उक्त आदेश के प्रभाव में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)